CNR NO. UPDE 0100 3361 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–-UP2016

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1367/2026

शौर्य यादव पुत्र नवल किशोर यादव
साकिन–मठ अमौना, थाना–लार, जिला–देवरिया, उत्तर प्रदेश प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध संख्या–202/2026
धारा–109(1), 61(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट।
थाना–लार, जिला–देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शौर्य यादव,** जो अपराध संख्या–202/2026, अंतर्गत धारा–109(1), 61(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना–लार, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता सौरभ यादव द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है इसके अलावा अन्य कोई भी अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय सत्र न्यायालय देवरिया अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

3. प्रथम सूचनाकर्ता उप निरीक्षक सत्यदेव द्वारा थाना लार, जिला देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि दिनांक 06.07.2026 को सी.एच.सी. लार द्वारा थाना कार्यालय को मेमो द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि सी.एच.सी. लार में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रकाश यादव पुत्र स्व0 रामबाबू यादव जो पिण्डी का निवासी है, जिसे गोली लगी है और घायल अवस्था में लाया गया है। यह सूचना प्राप्त होने पर थाना कार्यालय द्वारा उसे मेमो के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बताया गया, जिस पर वह घायल व्यक्ति प्रकाश यादव पुत्र स्व0 रामबाबू यादव निवासी आदर्शनगर पिण्डी थाना लार जनपद देवरिया घायल अवस्था में था, जिसके गले में काफी गंभीर चोट लगी थी। उक्त घायल व्यक्ति से मिलकर पूछा गया तो लड़खड़ाते हुए आवाज में बताया कि आज उसे षडयंत्र से अमित यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी आदर्श नगर पिण्डी देवरिया व शौर्य यादव पुत्र नवल किशोर यादव निवासी मठ अमौना थाना लार देवरिया घर से बुलाकर आलमाइटी स्कूल के सामने बाग में ले गये, जहां पर पहले से उसके साथी शिवम यादव भागलपुर के तथा शिवम यादव, अभिषेक यादव, अमन पटेल निवासीगण पिण्डी मौजूद थें। वहीं बाग में ही सभी लोग एक राय होकर षडयंत्र रचकर तमंचा

को खोलने व बन्द करने का नाटक करने लगे और शौर्य यादव ने उसी तमंचे से उसे जान से मारने की नियत से गोली मार दिये, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं, अभी होश आया है। डॉक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि यह चोट आर्म्स फायर की चोट है। घर वालों से संपर्क कर तहरीर देने हेतु कहा गया तो आरोपीगण से भय होने के कारण कोई तहरीर देने को तैयार नहीं है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कानूनी कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 07.07.2026 को अभियुक्तगण अमित यादव, शौर्य यादव, शिवम यादव, शिवम यादव, अभिषेक यादव एवं अमन पटेल के विरूद्ध थाना–लार, जिला–देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या–202/2026, अंतर्गत धारा–109(1), 61(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना धारा–3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त मामले में पुलिस उप निरीक्षक द्वारा तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट मनमानी रूप में लिख दिया गया है। वादी द्वारा कथित तिथि, स्थान व समय पर तहरीर में वर्णित घटना नहीं कारित की गयी है। पीड़ित प्रकाश यादव को प्रार्थी/अभियुक्त न तो घर से बुलाकर लाया था और न ही किसी अन्य सहअभियुक्त के साथ षड्यंत्र कर उसकी हत्या करने के आशय से गोली मारा था। प्रार्थी/अभियुक्त व पीड़ित प्रकाश यादव के मध्य कोई रंजिश भी नहीं थी। ऐसी दशा में घटना कारित करने का कोई कारण नहीं है। पीड़ित प्रकाश यादव को गोली अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाने से लगी थी, आवाज सुनकर प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके घर सूचना भी दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण से पुलिस द्वारा पूछताछ की गयी और गोली चलाने वाले का नाम पूछा गया, किन्तु अपरिचित होने के कारण वह उसका नाम नहीं बता सका, ऐसी दशा में पुलिस ने अपना काम आसान कर दिया और प्रार्थी को ही अभियुक्त बना दिया। घायल प्रकाश यादव वर्तमान में पूरी तरह स्वस्थ है तथा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका है। पुलिस द्वारा पीड़ित का मनमानी बयान दर्ज किया गया है तथा उसे धमकी भी दी गयी है कि यदि कहीं शिकायत करोंगे तो तुम्हें भी अभियुक्त बना दिया जाएगा। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद नहीं है तथा उसके गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.07.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत

प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोटिल प्रकाश यादव को जान से मारने की नीयत से तमंचे से उसके गले पर गोली मारकर गंभीर चोटें कारित की गई। अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित केस डायरी एवं संबंधित अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोटिल प्रकाश यादव को जान से मारने की नीयत से तमंचे से उसके गले पर गोली मारकर गंभीर चोटें कारित करने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में अभियोजन के उपरोक्त कथनों से इंकार किया गया है। चोटिल प्रकाश यादव की इंजरी रिपोर्ट में उसके गले के अग्र भाग पर फायर आर्म्स इंजरी आना अंकित है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस 8 एमएम बरामद किये जाने का उल्लेख केस डायरी में अंकित है। चिकित्सक द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया गया है कि ''दिनांक 06.07.2026 को मजरूब प्रकाश यादव को लाया गया जिसके गले के अग्र भाग पर फायर आर्म्स इंजरी पायी गयी जिसका उसके द्वारा आपरेशन व इलाज किया गया था। मजरूब की स्थिति काफी गंभीर थी। यदि समय पर इलाज नहीं मिलता तो कुछ भी हो सकता था।'' प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त की प्रस्तुत अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में किए गए कथन साक्ष्य एवं विचारण का विषय है।

8. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **शौर्य यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–24.07.2026

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।